576

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश कमांक :–शिविरा/माध्य/ संस्था/सी–2/ नियुक्ति– इतिहास/ पीएससी–15/2017 दिनांक 22.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके कम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक–24.12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी कमलेश द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 14989/2022 कमलेश बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14989/2022 कमलेश बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2022 में आदेशित किया है।

"If the respondent no.2, Director, sec.education, decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit , then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits. "

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में याचिकार्थी कमलेश प्राध्यापक इतिहास द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

S. NO.	NAME	SUBJECT	DATE OF BIRTH	MERIT NO.	DATE OF APPOINTMENT	DATE OF JOINING
1	KAMLESH	HISTORY	05/01/1991	45	23/06/2017	03/07/2017

उपर्युक्त याचिकार्थी के अभ्यावेदन को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 14989/2022 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 13.10.2022 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के पत्रांक प. 17(17) शिक्षा–2/2022–00737 दिनांक 29.08.2023 की पालना में वरिष्ठ कार्मिक के नियुक्ति आदेश कनिष्ठ कार्मिक के साथ ही जारी किए गये है किन्तु वरिष्ठ कार्मिक द्वारा स्वैच्छा से पद पर कार्यग्रहण विलम्ब से किया गया है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक का कनिष्ठ कार्मिक के कार्यग्रहण की दिनांक से काल्पनिक आधार पर वेतन तथा वेतनवृद्धि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

याचिकार्थी कमलेश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में व्याख्याता इतिहास के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 23.06.2017 के क्रम में 30.06.2017 तक कार्यग्रहण करने वाले स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Ram
Designation: Director
Date: 2023.0[illegible] [illegible]:46:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3889117

समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है। राज्य सरकार के उक्त पत्र दिनांक 29.08.2023 के निर्देशानुसार ये नोशनल परिलाभ के हकदार नही होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/इतिहास/नोशनल/कमलेश/या.स.–14989/2022 दिनांक– 25/09/2023

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
9. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.25 ...:46:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3889117